# लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

## पीठासीन अधिकारी – अरविन्द कुमार पोसवाल (आई.ए.एस.)

| प्रकरण संख्या | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
| --- | --- | --- |
| 019/2022<br>(GCMS 2022/72) | 23.03.2022 | 19.04.2022 |

**अनवान**

भागीरथ वैष्णव पिता रतनदास वैष्णव निवासी ग्राम धांगड़मउकलां पोस्ट बौराव, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़

**अपीलांट**

**बनाम**

सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़

**रेस्पोंडेंट**

**प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005**

**–:: निर्णय ::–**

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 22.11.2021 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./019/2022(सू.अ.)(19.04.2022) दिनांक 23.03.2022 से सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ को दिनांक 19.04.2022 से पूर्व कमेंट्स/टिप्पणी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक से नियत दिनांक 19.04.2022 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने पर भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ और न ही सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त प्रकरण में आदिनांक तक कमेन्ट्स/टिप्पणी प्रस्तुत किए गए।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यों का चिंतन–मनन किया। जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन दिनांक 22.11.2021 (प्राप्ति दिनांक 24.11.2021) से तीन बिन्दुओं पर सूचना/प्रमाणित प्रतिलिपियां चाही गई, परन्तु अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ की टिप्पणी प्राप्त नहीं होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हैं कि उनके स्तर पर इस आवेदन पत्र पर क्या कार्यवाही की गई हैं।

निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को 15 दिवस में वांछित सूचना निः शुल्क उपलब्ध करा पालना से अवगत करावें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलांट को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **19.04.2022** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**-SD-**

(अरविन्द कुमार पोसवाल)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)